छत्तीसगढ़ सूचना आयोग, रायपुर

<u>अपील प्रकरण क्रमांक 408/2006</u>

श्री हरीश कुमार,
एम. आई. जी. स्टेण्डर्ड–**II**,
लक्ष्मी निवास शिवघाट, सरकंडा,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... अपीलार्थी

विरूद्ध

जन सूचना अधिकारी,
गुरू घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छत्तीसगढ़) .... प्रतिअपीलार्थी

:: आदेश ::

(दिनांक 15 मई 2007)

श्री हरीश कुमार के द्वारा जन सूचना अधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर से सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र दिनांक 17–02–2006 के द्वारा 04 बिन्दुओं पर जानकारी मांगी गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 13–03–2006 के द्वारा 04 बिन्दुओं में से 03 बिन्दुओं पर अपीलार्थी के द्वारा स्पष्ट विवरण नहीं देने के कारण, जानकारी देना संभव नहीं होना बतलाया तथा बिन्दु क्रमांक–1 की जानकारी से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी ने दिनांक 17–03–2006 को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं कुलपति, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को प्रथम अपील प्रस्तुत की। प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा पत्र दिनांक 05–04–2006 के द्वारा अपीलार्थी की अपील अस्वीकार की तथा जन सूचना अधिकारी का निर्णय यथावत् रखा, जिसके विरूद्ध यह द्वितीय अपील छत्तीसगढ़ सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

2/ आयोग के द्वारा अपीलार्थी एवं जन सूचना अधिकारी को नोटिस जारी किया गया। दिनांक 05–03–2007 को जन सूचना अधिकारी के द्वारा पूर्ण जानकारी प्राथमिक रूप से नहीं दिये जाने प्रतीत होने के कारण आयोग के द्वारा जन सूचना अधिकारी को 10,000/– रुपये की शास्ति क्यों न आरोपित की जावे का कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश जारी किया गया तथा 15 दिन में पूर्ण जानकारी दिये जाने के निर्देश भी दिये गये। दिनांक 27–04–2007 को दोनों पक्षों के द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया।

3/ अपीलार्थी का मुख्य तर्क यह है कि उसके द्वारा बिन्दु क्रमांक–01 के द्वारा विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी के विरूद्ध किन नियमों के अंतर्गत जांच की जाती है, यह जानकारी मांगी गई थी। प्रतिअपीलार्थी के द्वारा यह जानकारी नियमों का उल्लेख करते हुये दी गई है। अपीलार्थी ने बिन्दु क्रमांक–02 से यह जानकारी मांगी थी कि अभी तक कितने कर्मचारियों के विरूद्ध जांच की गई है, उस पर क्या कार्यवाही की गई और जांच रिपोर्ट की प्रतिलिपियां भी चाही गई थी। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया गया कि किस जांच प्रतिवेदन की प्रति चाही जा रही है

स्पष्ट किया जावे। बिन्दु क्रमांक–03 के द्वारा वर्ष 2005–2006 में एम.बी.ए. कोर्स में प्रवेश के संबंध में नियमों के उल्लंघन पर अपीलार्थी पर विभागीय जांच अधिरोपित की गई है, जबकि प्रवेश के लिये समिति बनाई गई थी, जिसमें अन्य व्यक्ति भी सदस्य थे, अतः उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई और यदि नहीं की गई तो उसका क्या कारण था, यह जानकारी भी अपीलार्थी ने चाही थी। जन सूचना अधिकारी ने बतलाया कि अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई, समिति के अध्यक्ष के नाते अपीलार्थी ही जवाबदार था अतः उसके विरूद्ध ही कार्यवाही की गई है। अपीलार्थी ने मौखिक एवं लिखित तर्कों में यह स्पष्ट किया कि उसे मांगी गई जानकारी पूर्ण रूप से नहीं दी गई है, कितने कर्मचारियों के विरूद्ध जांच की कार्यवाही की गई है तथा उनका जांच प्रतिवेदन मांगा था वह उसे नहीं दिया गया है। इसी प्रकार समिति के अन्य सदस्यों के विरूद्ध कार्यवाही न करने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रतिअपीलार्थी ने कारण बताओ नोटिस के जवाब में इस प्रकरण के संदर्भ में जानकारी बिन्दु अनुसार नहीं दिये जाने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है, केवल यही उल्लेख किया है कि अपीलार्थी कई प्रकार के अभिलेख एवं जानकारियां मांगते रहते है एवं विश्वविद्यालय के समक्ष परेशानियां खड़ी करते रहते हैं। अपीलार्थी के द्वारा मांगी गई जानकारी क्यों नहीं दी गई तथा अर्थदण्ड आरोपित किये जाने का कारण बताओ नोटिस के संदर्भ में स्पष्ट रूप से जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह भी स्पष्ट नहीं किया गया है डॉ0 एल.पी. पटेरिया एवं डॉ0बी.एस.चौहान के संदर्भ में अपीलार्थी ने शिकायतें की थी, उन पर क्या कार्यवाही की गई ? इस संबंध में जन सूचना अधिकारी के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त दोनों के संबंध में की गई शिकायतों के संबंध में स्पष्ट विवरण नहीं दिया गया है तथा अपीलार्थी से ही शिकायत की प्रतिलिपि मांगी गई है। अपीलार्थी का तर्क यह है कि जन सूचना अधिकारी को स्पष्ट रूप से यह सूचित करना था कि डॉ0 एल.पी. पटेरिया एवं डॉ0 बी. एस. चौहान के विरूद्ध अभिलेख में अपीलार्थी के द्वारा प्रेषित शिकायतें उपलब्ध हैं अथवा नहीं, यदि हां तो उन पर क्या कार्यवाही की गई, बतलाना था। प्रतिअपीलार्थी ने सुनवाई के बाद पत्र दिनांक 11–05–2007 के द्वारा अतिरिक्त तर्क भी प्रस्तुत किये। इसमें उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी द्वारा अनेक अंकित पत्र दिये गये हैं, जिनमें अपीलार्थी अनेक प्रकार की जानकारियाँ चाह रहा है, किन्तु प्रतिअपीलार्थी ने इस प्रकरण में जानकारियाँ समयावधि में क्यों नहीं दी गई है। इसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है वरन प्रकरण की कार्यवाहियों की जानकारी न होना बतलाया है। प्रतिअपीलार्थी की ओर से सहायक जन सूचना अधिकारी प्रकरण की सुनवाई दिनांक 05–03–2007 को उपस्थित थे तथा आयोग के द्वारा दिये गये निर्देशों की टीप पर उनके हस्ताक्षर भी हैं, अतः उन्हें आयोग के निर्देशों की जानकारी थी। उनका यह तर्क कि उन्हें कार्यवाही विवरण की प्रति नहीं दी गई स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रत्येक आर्डर शीट की प्रति दिये जाने का नियम भी नहीं है। अतः अपीलार्थी का तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता।

4/ प्रकरण से स्पष्ट है कि बिन्दु क्रमांक–01 की जानकारी अपीलार्थी को दे दी गई है। बिन्दु क्रमांक–02 में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितनी अवधि के अन्दर विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के विरूद्ध की गई जांचों की जानकारी चाही गई। आयोग के समक्ष सुनवाई के समय दोनों पक्ष सहमत हुये कि आवेदन पत्र दिये जाने के 03 वर्ष पूर्व से आवेदन पत्र दिये जाने तक की जानकारी उपलब्ध कराई जावे। विश्वविद्यालय के द्वारा बिन्दु क्रमांक–03 एवं 04 की भी जानकारी आयोग के निर्देशों के पश्चात् भी

पूर्ण रूप से नहीं दी गई। जन सूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को पत्र लिखकर अपीलार्थी से ही जानकारी मांगी गई है, पत्र से स्पष्ट है कि जन सूचना अधिकारी किसी कारण विशेष से अपीलार्थी को पूर्ण जानकारी नहीं देना चाहते। जन सूचना अधिकारी के द्वारा आयोग के निर्देश के पश्चात् भी अपीलार्थी को पूर्ण रूप से जानकारी उपलब्ध न कराना आपत्तिजनक है। आयोग के द्वारा नोटिस देने तथा निर्देश देने के पश्चात् भी जानकारी नहीं दी गई। पत्र दिनांक 21–02–2007 के द्वारा अपीलार्थी को जो जानकारी दी गई, वह भी स्पष्ट नहीं है। अतः अपीलार्थी को पूर्ण वांछित जानकारी प्रदान न किये जाने के कारण सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–20(1) के अंतर्गत तत्कालीन जन सूचना अधिकारी, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर पर 2,000/– रुपये (रुपये दो हजार मात्र) की अर्थदण्ड की शास्ति आरोपित की जाती है तथा अपीलार्थी को बिन्दु क्रमांक–03 एवं 04 की स्पष्ट जानकारी दिये जाने एवं बिन्दु क्रमांक–02 के संदर्भ पूर्व उल्लेखानुसार विगत 03 वर्ष में स्थापित की गई जांचों की जानकारी निःशुल्क दिये जाने का आदेश दिया जाता है। अपीलार्थी को पूर्ण रूप से स्पष्ट जानकारी न दिये जाने के फलस्वरूप अपीलार्थी को मानसिक एवं आर्थिक क्षति हुई है, अतः विश्वविद्यालय प्रशासन, गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर को अपीलार्थी को 500/– रुपये (पाँच सौ रुपये मात्र) की क्षतिपूर्ति सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–19(1)(ख) के अंतर्गत प्रदान किये जाने का आदेश दिया जाता है।

4/ उपरोक्त निर्देशों सहित अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है।

(ए. के. विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त